प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – ....347/2022 दिनांक – 4/9/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7
   (ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (स) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (द) अन्य अधिनियम – धाराये –
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – ....68....... समय – ....2:00 P.M.
   ब. अपराध के घटने का दिन – शुक्रवार, दिनांक – 03.09.2022 समय – 10.00 ए.एम.
   स. कार्यालय. पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 30.08.2022 समय – 12:15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उत्तर 175 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता:– गांव बाप स्थित पटवारी श्री मोहनलाल पालीवाल द्वारा किराये की दुकान में संचालित पटवार कार्यालय।
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – अलाबराया (ब) पिता/पति का नाम – श्री अब्दल खॉ
   (स) जन्म तिथि/वर्ष – 60 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) व्यवसाय – खेती (र) पता – ग्राम देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. **श्री मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल जाति ब्रहमण उम्र 57 साल निवासी सतानियों का बास, बाप तहसील जिला जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल नूरे का भुर्ज अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर**
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 5,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............ कोई नहीं..........
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट..

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
(स्पेशल यूनिट) जोधपुर

विषयः– मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करनें बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं अलाबराया पुत्र श्री अब्दल खाँ उम्र 60 साल निवासी ग्राम देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर का रहने वाला हूं। मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूं। मेरे पिताजी की जमीन खसरा संख्या 04 कुल रकबा 5.4632 हैक्टर ग्राम देदासरी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर में आई हुई है जिसमें वर्तमान में मेरा हिस्सा 131/135 आया हुआ है। जिस पर एक्सिस बैंक शाखा फलौदी से लोन ले रखा है। मेरे पडौसी बिलाल खां पुत्र श्री मठार द्वारा खसरा नम्बर 04 में पटवारी श्री मोहनलाल पटवार हल्का देदासरी से मिलकर गलत तरीके से खसरा नम्बर 04 के हिस्से खोलकर मेरे कब्जा शुदा हिस्से में गलत तरमीम कर दी गई हैं। जिसको सही करवाने हेतु मैं पटवारी श्री मोहनलाल से जाकर मिला तो मुझे पटवारी जी ने कहा कि 20,000/–रूपये खर्चा पानी के ले आओ तो आपके खसरे में सही तरमीम कर देंगे। आज से तीन चार दिन पूर्व पटवारी श्री मोहनलाल ने मुझसे अपने कार्यालय में 14,000/–रूपये जबरदस्ती रिश्वत के रूप में खर्चे पानी के ले लिये अब मुझसे शेष रिश्वत राशि 6000/– रूपये मांग रहा है। जो मैं देना नहीं चाहता बल्कि मेरे वैध कार्य करने की एवज में पटवारी श्री मोहनलाल के द्वारा ली जाने वाली रिश्वत राशि के साथ रगें हाथ ट्रेप करवाना चाहता हूं। मेरी श्री मोहनलाल पटवारी पटवार हल्का देदासरी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई व्यक्तिगत लेन–देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करें। रिपोर्ट के साथ मेरी वोटर पहचान पत्र की फोटो प्रति एवं जमीन के आवश्यक दस्तावेज दे रहा हूं।

दिनांकः– 30.08.2022

भवदीय,
एसडी/
अलाबराया पुत्र श्री अब्दल खाँ
उम्र 60 साल निवासी ग्राम देदासरी
तहसील बाप जिला जोधपुर।
मोबाईल नम्बर– 9166089686

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 30.08.2022 समय 12.15 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री अलाबराया पुत्र श्री अब्दल खॉ उक्तरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट के साथ कार्यालय उपस्थित आया। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एसडी गवाह (विजेन्द्र पंवार) 02/09/2022	एसडी गवाह (राजेश बेनीवाल) 02/09/2022	एसडी परिवादी (अलाबराया) 30/08/2022	एसडी (डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित) अति. पुलिस अधीक्षक 30/08/2022

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 30.08.2022 समय 12.15 पी.एम. पर परिवादी श्री अलाबराया पुत्र श्री अब्दल खाँ उम्र 60 साल निवासी ग्राम देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि "

मैं अलाबराया पुत्र श्री अब्दल खाँ उम्र 60 साल निवासी ग्राम देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर का रहने वाला हूं। मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूं। मेरे पिताजी की जमीन खसरा संख्या 04 कुल रकबा 5.4632 हैक्टर ग्राम देदासरी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर में आई हुई है जिसमें वर्तमान में मेरा हिस्सा 131/135 आया हुआ है। जिस पर एक्सिस बैंक शाखा फलौदी से लोन ले रखा है। मेरे पडौसी बिलाल खां पुत्र श्री मठार द्वारा खसरा नम्बर 04 में पटवारी श्री मोहनलाल पटवार हल्का देदासरी से मिलकर गलत तरीके से खसरा नम्बर 04 के हिस्से खोलकर मेरे कब्जा शुदा हिस्से में गलत तरमीम कर दी गई हैं। जिसको सही करवाने हेतु मैं पटवारी श्री मोहनलाल से जाकर मिला तो मुझे पटवारी जी ने कहा कि 20,000/–रूपये खर्चा पानी के ले आओ तो आपके खसरे में सही तरमीम कर देंगे। आज से तीन चार दिन पूर्व पटवारी श्री मोहनलाल ने मुझसे अपने कार्यालय में 14,000/–रूपये जबरदस्ती रिश्वत के रूप में खर्चे पानी के ले लिये अब मुझसे शेष रिश्वत राशि 6000/– रूपये मांग रहा है। जो मैं देना नहीं चाहता बल्कि मेरे वैध कार्य करने की एवज में पटवारी श्री मोहनलाल के द्वारा ली जाने वाली रिश्वत राशि के साथ रगें हाथ ट्रेप करवाना चाहता हूं। मेरी श्री मोहनलाल पटवारी पटवार हल्का देदासरी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई व्यक्तिगत लेन–देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करें। रिपोर्ट के साथ मेरी वोटर पहचान पत्र की फोटो प्रति एवं जमीन के आवश्यक दस्तावेज दे रहा हूं।" परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री प्रकाश कानि. 265 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से मंगवाकर परिवादी श्री अलाबराया को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई।

वक्त 03.15 पी.एम. पर कार्यालय के श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 व परिवादी श्री अलाबराया का आपसी परिचय करवाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को सुपर्द कर परिवादी श्री अलाबराया आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री अलाबराया को एवं श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को परिवादी की निजी कार से कस्बा बाप जिला जोधपुर के लिए कार्यालय से रवाना किया गया।

दिनांक 31.08.2022 वक्त 11.45 ए.एम. पर कानि. प्रकाश न. 265 ने अपने मोबाईल फोन से मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर परिवादी के बतायेनुसार बताया कि परिवादी अलाबराया व आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन हो गया है आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी का कार्य करने के एवज में परिवादी से 5000/– रूपये की मांग की है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. प्रकाश न. 265 को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री अलाबराय को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/– रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 02.09.2022 को कार्यालय हाजा में 7 ए. एम. पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर परिवादी को कस्बा बाप में ही रूकसत कर कानि. प्रकाश न. 265 को कार्यालय हाजा में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया।

वक्त 05.35 पी.एम. पर श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 ने कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि "मैं व परिवादी श्री अलाबराया दिनांक 30.08.2022 को कार्यालय से रवाना होकर कस्बा बाप के पास पहुचे। जहा पर रात्रि का समय हो जाने से मै व परिवादी रात्रि मुकाम गोपनीय स्थान पर मुकिम रहे। दिनांक 31.08.2022 को मैं व परिवादी गोपनीय स्थान से रवाना होकर पटवार कार्यालय नूरे की भूर्ज जो बाप कस्बे में किराये के मकान में संचालित के पास पहुंचे जहां पर मन् कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री अलाबराया को सुपुर्द कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु परिवादी अलाबराय को पटवार कार्यालय बाप की ओर रवाना किया तथा मैं पटवार कार्यालय के पास गोपनीय रूप से परिवादी के आने के इन्तजार मे मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास आया जिस पर मैने परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। तथा परिवादी अलाबराय ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर बाप कस्बे में पटवारी मोहनलाल द्वारा किराये के मकान में संचालित पटवार कार्यालय में पहुंचा जहां पर पटवारी श्री मोहनलाल उपस्थित मिला जिससे मेरी जमीन की तरमीन कराने के संबंध में वार्ता हुई दौराने पटवारी श्री मोहनलाल मुझसे पूर्व मे मेरे कार्य करने के एवज में पूर्व में 30000/–रूपये मांगे थे जिस पर मेरे द्वारा निवेदन करने पर पटवारी श्री मोहनलाल ने 10000/–रूपये कम कर 20000/–रूपये देने का कहा। जिस पर मैने 14000/–रूपये पूर्व मे पटवारी जी को दे दिये थे। शेष रिश्वत राशि 6000/–रूपये मांग

कर रहा है। मेरे द्वारा कम करने का अनुग्रह करने पर बडी मुश्किल से 5000/–रूपये की रिश्वत राशि लेने की सहमति दी है उसके बाद आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री अलाबराय को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/– रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 02.09.2022 को कार्यालय हाजा में 7.00 ए. एम. पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर परिवादी को ग्राम बाप मे छोडकर कार्यालय में उपस्थित आया। जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो कानि. प्रकाश न. 265 के बताये गये तथ्य की पुष्टि हुई तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। उक्त मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लेकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा।

दिनांक 01.09.2022 समय 02.50 पी.एम. पर सुबह दिनांक 02.09.2022 को ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने पर श्री अर्जुनसिह कानि. 319 को कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग जोधपुर को जरिए पत्रांक 1516 दिनांक 01.09..2022 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाहान दिनांक 02.09.2022 को 7.00 ए.एम पर उपलब्ध करवाने हेतु पत्र जारी कर श्री अर्जुनसिह कानि. 319 को सुपुर्द दो स्वतंत्र गवाहान को पाबन्द करवाने हेतु रवाना कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग जोधपुर किया गया।

समय 03.44 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास ब्यूरो शहर चौकी का अतिरिक्त चार्ज होने से एवम अन्य गोपनीय कार्यवाही मे व्यस्त होने से सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारीयो को निवेदन कर उक्त कार्यवाही में ट्रेप टीम को लीड करने हेतु ब्यूरो की शहर चौकी से श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक को कल दिनांक 02.09.2022 को समय 7.00 ए.एम. पर इस कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत जरिये टेलिफोन दी गई तथा समस्त कार्यालय स्टाफ को कल दिनांक 02.09.2022 को समय 7.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई।

समय 03.50 पी.एम. पर श्री अर्जुनसिह कानि. 319 कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग जोधपुर को जरिए पत्रांक 1516 दिनांक 01.09..2022 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाहान दिनांक 02.09.2022 को 7.00 ए.एम पर उपलब्ध करवाने हेतु पाबन्द कर उपस्थित आया।

दिनांक 02.09.2022 समय 07.00 ए.एम. पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस जोधपुर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशनुसार गोपनीय कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपस्थित आये एवं पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अलाबराया मय रिश्वत राशि 5000/रूपये के कार्यालय उपस्थित आया। जिस पर पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव का परिवादी श्री अलाबराया से परिचय करवाया एवं परिवादी श्री अलाबराया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री अलाबराया एवं आरोपी मोहनलाल पटवारी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्डर है को पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव सुपुर्द किये गये तथा कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग जोधपुर से पाबंद शुदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आने पर पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार निर्देशित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य गोपनीय राजकार्य में व्यस्त हुआ।

समय 07.10 ए.एम. पर मन् मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अलाबराया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन कर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री अलाबराया एवं आरोपी मोहनलाल पटवारी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर परिवादी श्री अलाबराया एवं आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य–मुख्य मांग अंश को सुना गया, जिसमें पाया गया पटवारी श्री मोहनलाल ने परिवादी श्री अलाबराया पूर्व मे परिवादी के कार्य करने के एवज में पूर्व में 30000/–रूपये मांगे थे जिस पर परिवादी श्री अलाबराया द्वारा निवेदन करने पर पटवारी श्री मोहनलाल ने 10000/–रूपये कम कर 20000/–रूपये देने का कहा। परिवादी श्री अलाबराया पूर्व में 14000/–रूपये पटवारी मोहनलाल को दे चुका था तथा शेष रिश्वत राशि 6000/–रूपये पटवारी श्री मोहनलाल ने मांग की है। परिवादी श्री अलाबराया द्वारा कम करने का अनुग्रह करने पर 5000/–रूपये की रिश्वत राशि लेने सहमत हुआ।

तत्पश्चात् कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग जोधपुर से पूर्व में पाबंद शुदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय हाजा पर उपस्थित आए। जिनको मन् मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछने पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान ने बारी बारी से अपना परिचय श्री विजेन्द्र पंवार पुत्र

श्री बाबूलाल जाति जीनगर उम्र 29 साल निवासी ब्लॉक नम्बर जे–5, बीपीएल आवासीय कॉलोनी, बस स्टैण्ड के पास बालोतरा जिला बाडमेंर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त निदेशक भू विज्ञान, खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8619297495 तथा राजेश बेनीवाल पुत्र श्री देवाराम जाति बिश्नोई उम्र 28 साल निवासी खेजडली कला तहसील लूणी जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त निदेशक भू विज्ञान, खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8003066130 होना बताया। जिस पर उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री अलाबराया से करवाया गया।

तत्पश्चात् मन् मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अलाबराया द्वारा प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट को पढ़कर दोनों गवाहान को सुनाई गई और दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवायी गई। परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की टाईपशुदा रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान नें अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 31.08.2022 को परिवादी श्री अलाबराया एवं आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य–मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

समय 07.30 ए.एम. पर वक्त दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री अलाबराया पुत्र श्री अबदल खॉ जाति मुसलमान उम्र 60 साल निवासी ग्राम देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री अलाबराया ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपयें के 10 नोट कुल राशि 5,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री अलाबराया द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर फर्द पेशकसी में अंकित कर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 5000 रूपये के नोटों पर श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अलाबराया की जामा तलाशी गवाह श्री विजेन्द्र पंवार से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 9166089686 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 5000 रूपये जो श्री मोहनलाल पटवारी को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री अलाबराया के पहनें हुए चोले की दाहिनी जेब में श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अलाबराया को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि. ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति सुशीला महिला कानि.103 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला महिला कानि. नम्बर 103. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे।

तत्पश्चात् परिवादी श्री अलाबराया को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय

परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 3,000 रूपये अपने पास रखे।

समय 08.05 ए.एम पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री विजेन्द्र पंवार व राजेश बेनीवाल मय ब्यूरो जाब्ता श्री अयुबखान उप निरीक्षक, श्रीमती मधुमती हैड कानि. 89, श्री अर्जुनसिह कानि. 319, श्री भंवरलाल कानि0 501, श्री गणेश कुमार कानि0 219 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री खमाराम कानि. चालक मय परिवादी श्री अलाबराया मय श्री प्रकाश कानि. 265 को परिवादी की निजी कार से साथ–साथ ही कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से गांव बाप के लिए रवाना हुए।

समय 08.40 पी.एम पर फिकरा उपरोक्त के गये हुए मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री विजेन्द्र पंवार व राजेश बेनीवाल मय ब्यूरो स्टाफ जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री खमाराम कानि. चालक एवं ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली सहित मय रिश्वति राशि 5,000/रूपये के लिफाफा के गांव बाप से वक्त 05.20.पी.एम. पर रवाना होकर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर उपस्थित आये और हालात इस प्रकार से है कि स्पेशल यूनिट जोधपुर से रवाना होकर समय करीब 10.50 ए.एम. पर गांव बाप पहुंचे। जहां पर परिवादी को गांव बाप में स्थित पटवारी के कार्यालय पर भेजकर गोपनीय तरीके से पता कराया गया तों आरोपी अपने पटवार कार्यालय में उपस्थित नही मिला। जिस पर निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के गांव बाप में आरोपी के आने के इन्तजार में गोपनीय स्थान पर मुकिम रहे। काफी देर बाद परिवादी से आरोपी के अपने कार्यालय में आने का पता करवाया तो परिवादी ने गोपनीय रूप से मालुम कर बताय की आरोपी पटवारी अपने कार्य से शेरगढ़ गया हुआ है। वह कल अपने कार्यालय में आयेगा। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही होनें पर गवाह श्री राजेश बेनीवाल से परिवादी के पहने हुए चोले की दाहिनी जेब सें रिश्वति राशि 5,000/ रूपये निकाल कर एक सफेद लिफाफें में डलवाकर गाडी के डेस बोर्ड की दराज में रखवाई गई। परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत दी तथा कल दिनांक 02.09.2022 को 9.00 ए.एम पर गांव बाप के कानासर चौराहा पर मिलने की हिदायत देकर परिवादी श्री अलाबराया को उसकी निजी कार से रूखस्त किया गया। इसके बाद समय 05.20 पी.एम. पर गांव बाप से रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के सरकारी वाहन से स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुंचा। सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड की दराज से रिश्वति राशि 5,000 रूपयें का सफेद लिफाफा मन् निरीक्षक पुलिस ने निकाल कर परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली व डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर चाबी अपनें पास रखी गई। दोनों स्वतन्त्र गवाह को कार्यवाही की गोपनीयता रखनें की हिदायत देकर कल दिनांक 03.09.2022 को प्रातः 06.00 बजे कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। ब्यूरो जाब्ता को भी दिनांक 03.09.2022 को प्रातः 06.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 03.09.202 समय 06.10 ए.एम पर पूर्व में पाबंद शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री विजेन्द्र पंवार व श्री राजेश बेनीवाल कार्यालय हाजा पर उपस्थित आए।

समय 06.20 ए.एम पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री विजेन्द्र पंवार व राजेश बेनीवाल मय ब्यूरो जाब्ता श्री अयुबखान उप निरीक्षक, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री अर्जुनसिह कानि. 319, श्री भंवरलाल कानि0 501, श्री गणेश कुमार कानि0 219 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री एवं ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय की अलमारी से कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली एवं रिश्वति राशि 5,000 का सफेद लिफाफा गवाह श्री राजेश बेनीवाल से निकलवाकर रिश्वत राशि के सफेद लिफाफे को सरकारी वाहन के डेस्क बोर्ड की दराज में रखवाकर जरिये सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय श्री खमाराम कानि. चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से गांव बाप के लिए रवाना हुए।

समय 09.30 ए.एम. पर पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस, श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक, श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501, श्री अर्जुनसिंह कानि. नम्बर 319, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265, श्री गणेश कानि. नम्बर 219, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री विजेन्द्र पंवार व श्री राजेश बेनीवाल सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय

चालक श्री खम्माराम नम्बर 356 के ब्यूरों के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली मय आवश्यक सामग्री मय रिश्वत राशि 5000 रूपयें के सफेद लिफाफे सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट से रवाना होकर कानासर चौराहा बाप पहुंचे। जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी अपनें निजी कार से उपस्थित मिला। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा सरकारी वाहन के डेस बोर्ड से रूबरू ब्यूरों जाब्ता के गवाह श्री राजेश बेनीवाल से सफेद लिफाफे से 5000 रूपयें रिश्वत राशि गिनवाकर परिवादी श्री अलाबराया के पहनें हुए चोलें की दाहिनी जेब में रखवायी गई तथा गवाह श्री राजेश बेनीवाल के हाथों को साफ पानी से धुलवाया जाकर सफेद लिफाफा को जलाकर नष्ट किया गया। सरकारी वाहन कानासर चौराहे के आसपास गोपनीय रूप से खडा करवाकर श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक, श्री भंवरलाल कानि., श्री अर्जुनसिह कानि. व गवाह श्री विजेन्द्र पंवार को सरकारी वाहन में ही रहनें की हिदायत देकर मन् निरीक्षक पुलिस, श्री प्रकाश कानि., श्री गणेश कानि. व गवाह श्री राजेश बेनीवाल, परिवादी अलाबराया के कानासर चौराहें से पैदल ही पटवारी के कार्यालय के लिए रवाना हुए। समय 09.48 ए.एम. पर तहसील कार्यालय बाप के पास पहुंचकर मन् निरीक्षक पुलिस नें कानि. श्री प्रकाश नम्बर 265 से कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर ऑन करवाकर परिवादी को सुपर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरों जाब्ता व गवाह के परिवादी के ईशारें के इन्तजार में मुकीम रहे।

वक्त 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री अलाबराया द्वारा पूर्व से निर्धारित गोपनीय ईशारा अपनें सिर पर एक हाथ फेर कर मन् निरीक्षक पुलिस को किया। जिस पर हमराहीयान मय स्वतन्त्र गवाहान श्री राजेश बेनीवाल, श्री प्रकाश कानि., श्री गणेश कानि. के पटवार भवन कार्यालय पहुंचे। इसी दौरान मन् निरीक्षक पुलिस नें अपनें मोबाईल से ब्यूरों स्टाफ श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 के मोबाईल नम्बर 9783790999 पर कॉल करके मय सरकारी वाहन व शेष ब्यूरों स्टाफ व गवाह श्री विजेन्द्र पंवार के पटवार भवन पहुंचनें के निर्देश दिये गये। परिवादी के पास पहुंचकर परिवादी के पास खडे आरोपी को दस्तयाब किया गया और परिवादी से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया। उक्त वार्ता की आईन्दा रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष फर्द ट्रासंक्रिप्ट मूर्तिब की जावेगी। इतनें में ही सरकारी वाहन सें ब्यूरों स्टाफ भी उपस्थित आया। परिवादी श्री अलाबराया नें रूबरू गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि यही श्री मोहनलाल पालीवाल पटवारी है, जिसनें मेरे से मेरे खसरे की तरमीम करनें की एवज में अभी अभी 5,000 रूपयें रिश्वति राशि प्राप्त कर अपनी पहने हुए पायजामें की दाहिनी जेब में रखें है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल से परिचय देकर आनें का मन्तव्य सें अवगत करवाया जाकर उसका परिचय पूछनें पर अपना नाम श्री मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल जाति ब्राहमण उम्र 57 साल निवासी सतानियों का बास, बाप तहसील बाप जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल नूरे की भुर्ज अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर होना बताया। जिस पर श्री मोहनलाल पालीवाल पटवारी सें अभी अभी परिवादी श्री अलाबराया सें 5000 रूपयें रिश्वति राशि प्राप्त करनें के सम्बन्ध में पूछनें पर बताया कि मैने श्री अलाबराया से तरमीम करनें की एवज में मैनें अभी अभी 5,000 रूपयें प्राप्त कर अपने पहने हुए पायजामें की दाहिनी जेब में रखें है। इतनें में आप लोग आ गये। साहब मेरे से गलती हो गई है। ट्रेप कार्यवाही स्थल मुख्य सडक मार्ग पर होनें एवं भीडभाड को देखतें हुए तथा किरायें के पटवार भवन कार्यालय में कार्यवाही करनें हेतु उचित व्यवस्था नही होनें के कारण मन् निरीक्षक पुलिस आरोपी को उसी अवस्था में सरकारी वाहन में बिठाकर मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व ब्यूरों स्टाफ के व परिवादी व परिवादी के निजी वाहन सहित समय 10.10 ए.एम.पर रवाना होकर वक्त 10.15 ए.एम. पर पुलिस थाना बाप पहुंचे। जहां पर पुलिस थानें में श्री सवाईसिंह थानाधिकारी उपस्थित मिले, जिनसे ब्यूरों की कार्यवाही हेतु पुलिस थानें में कार्यवाही बाबत सहमति ली गई, जिस पर उनके द्वारा सहमति देने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना बाप में करनें का निर्णय लिया गया। ट्रेप कार्यवाही के हालात श्रीमान दुर्गसिह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट जोधपुर को निवेदन किये गये।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री अलाबराया एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बाक्स मंगवाकर आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल जाति ब्राहमण उम्र 57 साल निवासी सतानियों का बास, बाप तहसील बाप जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल नूरे की भुर्ज अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में पुलिस थानें में कैम्पर में से साफ पीने का पानी की बोतल मंगवायी जाकर उक्त कांच की दो गिलासो को आधा–आधा भरवाया

गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी मोहनलाल पालीवाल पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री राजेश बेनीवाल से आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल पटवारी जामा तलाशी लिरवाई गई तों आरोपी के पहनें हुए पायजामें की दाहिनी जेब से 500–500 रूपयें के नोट होना पाये गये। जिसकों गवाह श्री विजेन्द्र पंवार सें पूर्व में तैयार फर्द पेशकसी कों सुपर्द कर उक्त राशि का बोल बोल कर गवाह श्री राजेश बेनीवाल सें मिलान करवाया गया तों फर्द पेशकसी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 500–500 रूपयें के 10 नोट कुल 5,000/– रूपये होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 TA 918605
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 HN 209837
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 UD 581907
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 QB 371892
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 VL 320204
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 FN 377528
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 GN 523611
8.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 WM 548149
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 NK 247517
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 EC 019236

उक्त भारतीय मुद्रा 5,000/–को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल पटवारी की जामा तलाशी में पहनें हुए चोले की बांयी जेब में एक रेडमी कम्पनी का मोबाईल जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 868372031733201 2. 868372031733219 जिसमें एक वोडाफोन कम्पनी की सिम नम्बर 9799591261 होना पाई गई। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल पटवारी के पास कोई वस्तु, राशि व दस्तावेज कब्जा ब्यूरों नही लिया गया।

तत्पश्चात् रिश्वति राशि बरामदगी स्थान आरोपी के पहनें हुए पायजामें की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होनें के कारण आरोपी के पहननें के लिए पायजामें की व्यवस्था की जाकर आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल के पहनें हुए सफेद रंग के पायजामें कों उतरवाया जाकर दूसरा पायजामा पहनवाया गया। उक्त पायजामें की दाहिनी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई, का धोवन लेने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री अलाबराया एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू एक कॉच के साफ गिलास में पुलिस थाना बाप में पानी के कैम्पर से साफ पीने का पानी की बोतल मंगवायी जाकर उक्त कांच की गिलास को पानी से आधा भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। आरोपी के पहनें हुए पायजामें की दाहिनी जेब को उल्टा करवाकर जेब का धोवन उक्त तैयार घोल के गिलास में डूबोकर लिया गया तों धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल के रंग कों गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा

भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया। उक्त सफेद रंग का पायजामा जिसके दाहिनी जेब से रिश्वति राशि बरामद हुई है, उक्त सम्बन्धित स्थान पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पायजामा को एक सफेद कपडे की थैली में डलवाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर थैली को शील्ड मोहर कर मार्क पी अंकित किया गया। अब तक की कार्यवाही से श्री मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल जाति ब्राहमण उम्र 57 साल निवासी सतानियों का बास, बाप तहसील बाप जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल नूरे की भुर्ज अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर ।का अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल जाति ब्राहमण उम्र 57 साल निवासी सतानियों का बास, बाप तहसील बाप जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल नूरे की भुर्ज अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी।

समय 02.00 पी.एम पर बाद पूछताछ के आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल जाति ब्राहमण उम्र 57 साल निवासी सतानियों का बास, बाप तहसील बाप जिला जोधपुर हाल पटवारी, पटवार मण्डल नूरे की भुर्ज अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर को उसके द्वारा किये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 से अवगत करवाया जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रंनिग नोट की गयी।

समय 02.15 पी.एम पर ट्रेप बाक्स श्री अर्जुनसिह कानि. 432 व श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 को सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस, दोनो गवाहान, परिवादी श्री अलाबराया मय आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी एवं श्री अयुबखान उप निरीक्षक मय सरकारी वाहन व चालक कानि. गणेश के पटवारी श्री मोहनलाल द्वारा किराये की दुकान में संचालित निजी पटवार कार्यालय के लिए नक्शा मौका मूर्तिब करनें एवं परिवादी के पैण्डिंग कार्य दस्तावेज प्राप्त करने हेतु रवाना हुआ।

वक्त 02.30 पी.एम पर फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के घटना स्थल पहुंच कर रूबरू दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपनें निर्देशन में श्री अयुबखान उप निरीक्षक से मूर्तिब करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवा कर शामिल रंनिग नोट किया गया। आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल पटवारी ने अपने कार्यालय की टेबल पर परिवादी के पैण्डिंग कार्य के दस्तावेज निकाल कर पेश किये जिसका अवलोकन कर सक्षम अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाप से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने हेतु जरिये मोबाईल निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार व तहसीलदार तहसील कार्यालय पर उपस्थित नहीं तथा मैं भी बाहर हूँ। जिस पर मूल दस्तावेज लेकर आईन्दा सक्षम अधिकारी से मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर मूल दस्तावेज सक्षम अधिकारी को सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया। घटना स्थल से बाद कार्यवाही मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के तहसील कार्यालय बाप रवाना हुआ।

वक्त 02.50 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के तहसील कार्यालय बाप पहुंचकर आरोपी का सेवा विवरण हेतु तहसीलदार बाप के नाम एक तहरीर मुर्तिब कर आरोपी का सेवा विवरण प्राप्त किया तथा आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी के निजी पटवार कार्यालय की चाबी श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बाप के निर्देशानुसार तहसील कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक श्री सुरेन्द्रसिंह मीणा का दी। बाद कार्यवाही तहसील कार्यालय बाप से पुलिस थाना बाप के लिये रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के पुलिस थाना बाप पहुंचकर ट्रेप बॉक्स को मन् निरीक्षक पुलिस नें अपनें जिम्में लिया।

वक्त 03.05 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री विजेन्द्र पंवार व राजेश बेनीवाल मय परिवादी अलाबराया एवं परिवादी के निजी वाहन कार मय ब्यूरो जाब्ता श्री अयुबखान उप निरीक्षक, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री अर्जुनसिह कानि. 319, श्री भंवरलाल कानि0 501, श्री गणेश कुमार कानि0 219 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री एवं आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच.

1, एल.एच. 2, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 5000 रूपयें, रिश्वति राशि बरामद स्थान पायजामे की दाहिनी जेब का धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल पी.1 व पी.2 ,रिश्वति राशि बरामद स्थान पायजामा का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी., आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी का एक रेडमी कम्पनी का मोबाईल मय एक सिम के एवं ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली मय रिकॉर्ड के पुलिस थाना बाप से एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर के लिए रवाना हुआ।

वक्त 06.30 पी.एम पर फिकरा उपरोक्त का वक्त 03.00 पी.एम. पर पुलिस थाना बाप से रवाना होकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान इस समय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पहुचा तथा ट्रेप कार्यवाही में जब्त शुदा आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी के दोनों हाथों के धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 5000 रूपयें, रिश्वति राशि बरामद स्थान पायजामे की दाहिनी जेब का धोवन का शील्ड शुदा सैम्पल पी.1 व पी.2 ,रिश्वति राशि बरामद स्थान पायजामा का शील्ड शुदा पैकेट मार्क पी., आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी का एक रेडमी कम्पनी का मोबाईल मय एक सिम के आरोपी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवायें गये। दोनो स्वतंत्र गवाह श्री विजेन्द्र पंवार व राजेश बेनीवाल व परिवादी अलाबराया को दिनांक 04.09.2022 को समय 07.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होनें की हिदातय देकर कार्यालय से रूखस्त किया गया।

तत्पश्चात् आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी का मेडिकल चैकअप एवं कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नही होनें के कारण श्रीमान मेडिकल ऑफिसर राजकीय सेटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के नाम पृथक पृथक तहरीर जारी कर श्री अयुबखान उप निरीक्षक पुलिस एवं श्री गणेश कानि. नम्बर 219, श्री प्रकाश कानि. नम्बर 265 मय आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी के सरकारी वाहन आरजे 14 यूसी 8795 मय चालक श्री खमाराम कानि. को रवाना सेटेलाईट हास्पिटल पावटा जोधपुर को किया गया इसके बाद आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी का मेडिकल चैकअप एवं पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में दाखिल करवाकर श्री अयुबखान उप निरीक्षक मय हमराहीयान के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। एवं पुलिस थाना उदयमन्दिर पर श्री मगराज कानि. एसीबी चौकी जोधपुर कों आरोपी की निगरानी ड्यूटी हेतु मामुर किया गया।

दिनांक 04.09.2022 वक्त 7.10 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री विजेन्द्र पंवार व राजेश बेनीवाल व परिवादी अलाबराया कार्यालय एसीबी स्पेशल यूनिट जोधपुर पर उपस्थित आयें है।

वक्त 07.20 ए.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री अलाबराया एवं आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी के मध्य दिनांक 31.08.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू हुई वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्ता कों दोनो गवाहान श्री विजेन्द्र पंवार व श्री राजेश बेनीवाल व परिवादी श्री अलाबराया के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री अलाबराया के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 219 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री अलाबराया द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। दो डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 09.00 ए.एम. पर परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री अलाबराया एवं आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी के मध्य दिनांक 03.09.2022 को रिश्वती राशि लेन देन रूबरू वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त वार्तालाप कों दोनो गवाहान श्री विजेन्द्र पंवार व राजेश बेनीवाल व परिवादी श्री अलाबराया के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी श्री अलाबराया के समक्ष सुन व समझकर शब्द, बशब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री गणेश कुमार कानि. नम्बर 219 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी एवं परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री अलाबराया

द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आरोपी श्री मोहनलाल पटवारी की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली की सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडी को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। दो डब सीडी में से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान प्रयोजनार्थ तैयार की गई है। उक्त सीडीयों को श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर जमा मालखाना करवाई गई तपश्चात् ट्रेप कार्यवाही में परिवादी श्री अलाबराया व स्वतन्त्र गवाह श्री विजेन्द्र पंवार व राजेश बेनीवाल की आवश्यकता नही होनें के कारण कार्यालय से रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल पटवारी द्वारा ग्राम देदासरी पटवार हल्का देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित परिवादी श्री अलाबराया के पिताजी की जमीन खसरा संख्या 04 कुल रकबा 5.4632 हैक्टर में से श्री अलबराया का हिस्सा 131/135 जमीन की सही तरमीम करने के बदले में दिनांक 31.08.2022 को मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री अलाबराया से उसके कार्य करने के एवज में 30000/-रूपये मांगे थे, परिवादी श्री अलाबराया द्वारा निवेदन करने पर पटवारी श्री मोहनलाल ने 10000/-रूपये कम कर 20000/-रूपये देने को कहा। परिवादी श्री अलाबराया 14000/-रूपये पूर्व में पटवारी श्री मोहनलाल पालीवाल को दे चुका था शेष रिश्वत राशि 6000/-रूपये मांग कर रहा था परिवादी द्वारा कम करने का अनुग्रह करने पर 5000/-रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना। जिस पर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर दिनांक 03.09.2022 को परिवादी श्री अलाबराया से श्री मोहनलाल पालीवाल पटवारी द्वारा अपने किराए की निजी कार्यलय में 5000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहने हुए पायजामा की दाहिनी जेब में रखी जहॉ से रूबरू गवाहान रिश्वत राशि 5000/-रूपये बरामद होना एवं आरोपी मोहनलाल पटवारी के दोनों हाथों का धोवन कमशः हल्का गुलाबी व गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी मोहनलाल के पहने हुये पायजामे की दाहिनी जेब का धोवन गहरा गुलाबी प्राप्त होना आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल जाति ब्रहमण उम्र 57 साल निवासी सतानियों का बास, बाप तहसील जिला जोधपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल नूरे का भुर्ज अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल देदासरी तहसील बाप जिला जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित है।

(मनीष वैष्णव)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मोहनलाल पालीवाल पुत्र श्री सोमराज पालीवाल, हाल पटवारी, पटवार मण्डल नूरे का भुर्ज, अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल देदासरी, तहसील बाप, जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 347/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

4/9/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 3014-18 दिनांक 4.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. जिला कलक्टर, जोधपुर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।